(115)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1290–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–3–2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 440/अ–6/2014–15.

श्रीमती रूखसाना बी पत्नी हबीब अहमद
निवासी ग्राम फतेहपुर डोबरा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदिका

विरूद्ध

1– अरशद खां
2– फरहा
3– अथर
4– फरहीन
5– आफरीन
सभी पुत्र–पुत्रीगण अख्तर अली
6– श्रीमती रोनक जहां पत्नी महबूब खां
7– बाकार खां
8– नासीर खां
9– शाबिर खां
10– निसार खां
सभी पुत्र–पुत्रीगण हामिद खां
निवासीगण शाहजहांनाबाद, भोपाल
11– श्रीमती अफरोज जहां पत्नी अजहर अली
12– श्रीमती फिरदोस पत्नी अजहर अली
13– श्रीमिती फिरोज जहां पत्नी साहब वासित
14– लईक अहमद
15– अशफाक अहमद
16– अनवर अहमद
सभी पुत्र–पुत्रीगण अजीज अहमद
निवासीगण अहाता रूस्तम खां, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री अतुल धारीवाल, अभिभाषक, आवेदिका
श्री एच.एल. झा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/10/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश 6–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 2–2–2015 के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा अपने आवेदन पत्र में दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए उनकी जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया । तहसीलदार, तहसील हुजूर द्वारा दिनांक 6–3–17 को आदेश पारित कर आवेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायहित में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अन्तर्गत आवश्यक है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की ओर से वर्ष 1932 में निष्पादित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसकी स्याही की जांच होना आवश्यक है कि क्या दस्तावेज असली है अथवा फर्जी । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायहित में आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों की जांच आवश्यक है ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका दस्तावेजों की किस प्रकार जांच चाहती है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार को आवेदिका की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उक्त दस्तावेजों की जांच करने के लिए केवल व्यवहार न्यायालय सक्षम है, अतः आवेदिका को व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि

तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा मेमोरेण्डम ऑफ गिफ्ट, सर्टिफिकेट ऑफ गिफ्ट, सर्टिफिकेट ऑफ वेरीफिकेशन एवं जवाहर लाल नेहरू कैंसर अस्पताल के स्टोफेथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आवेदिका द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों को फर्जी बताते हुये दस्तावेजों की जॉच कराये जाने की मॉग आवेदन पत्र प्रस्तुत कर की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–3–17 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जो कि वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं है । इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 में न्यायालय द्वारा दस्तावेजों की जॉच कराये जाने संबंधी प्रावधान किया गया है, जबकि आवेदिका द्वारा उक्त दस्तावेज फर्जी बताये जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में न्यायहित में दस्तावेजों की जॉच कराये जाने से प्रकरण में पक्षकारों को वास्तविक न्याय ही प्राप्त होगा। अतः नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश 6–3–2017 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर उनके व्यय पर दस्तावेजों की जॉच हस्तलिखित विशेषज्ञ से कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर